प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

समूह-1 उपसमूह-3 के अन्तर्गत खण्ड विस्तार प्रशिक्षक, सांखियकी अधिकारी, प्रबंधक(सामान्य), सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य समकक्ष रिक्त पदो की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-2017

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
आवेदन पत्र मे भरने की प्रारम्भ तिथि	: 27 / 09 / 2017	आवेदन पत्र मे भरने की अंतिम तिथि	: 11 / 10 / 2017
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 27 / 09 / 2017	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 16 / 10 / 2017
परीक्षा दिनांक व दिन		05-06/11/2017	

परीक्षा शुल्क		
सीधी भर्ती/ संविदा भर्ती के पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. 500/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. 250/-
सीधी भर्ती - बैकलॉग		कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थयों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा ।		

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
05-06/11/2017	प्रथम	प्रात: 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:30 बजे	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 02:00 से 05:00 बजे तक (3:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है।
3. यु.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
4. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
5. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
6. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
7. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
8. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
9. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।
11. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया एवं भारिया) के अभ्यार्थयों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन कर सकते है । (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एजं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोप्ति मान्य होगी ।)
12. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-5 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक पी.ई.बी. को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा । पी.ई.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, **चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल** - 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 **फैक्स** : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in **वेबसाईट** : www.vyapam.nic.in

समूह-1 उपसमूह-3 के अन्तर्गत खण्ड विस्तार प्रशिक्षक,, सांख्यिकी अधिकारी, प्रबंधक(सामान्य), सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य समकक्ष रिक्त पदो की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-2017

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	समूह-1 उपसमूह-3 के अन्तर्गत खण्ड विस्तार प्रशिक्षक,, सांख्यिकी अधिकारी, प्रबंधक(सामान्य), सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य समकक्ष रिक्त पदो की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-2017	3-16
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	17-25
3.	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	26-48
4	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	49
5.	प्रारूप-1	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	50
6.	प्रारूप-2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	51
7	प्रारूप-3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	52
8	प्रारूप-4	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	53
9	प्रारूप-5	बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	54

5. अर्हकारी अंक - (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होनें नियम 7 में समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।

(2) इन नियमो के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;

(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;

(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और

(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. विस्तार -

(1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें कण्डिका 6 में यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

(2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओ/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. सेवा समूह - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह एवं म.प्र. राजपत्र क्र; 416 दिनांक 10/10/2016 में संशोधन किया गया है। विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके कि लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् -

तालिका

स. क्र.	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह-1 उप समूह-3	समूह-1 उपसमूह-3 के अन्तर्गत खण्ड विस्तार प्रशिक्षक,, सांख्यिकी अधिकारी, प्रबंधक(सामान्य), सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य समकक्ष रिक्त पदो की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-2017	तृतीय श्रेणी

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

परीक्षा का नाम:- समूह-1 उपसमूह-3 के अन्तर्गत खण्ड विस्तार प्रशिक्षक,, सांख्यिकी अधिकारी, प्रबंधक(सामान्य), सामाजिक कार्यकता व अन्य समकक्ष पदो के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-2017

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे

1. आवेदक का नाम :- ....
2. पिता का नाम :- ....
3. माता का नाम :- ....
4. लिंग (पुरूष/महिला):- ....
5. जन्मतिथि :- ....
6. आदिम जनजाति का नाम :- ....
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :- ....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :- ....
9. कार्यअनुभव का विवरण :- ....
10. विशेष/अन्य विवरण :- ....

11 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:- ....

12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:- ....

12. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :-

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-..

दिनांक :- ....

निवास का पता :- ....

....

मोबाईल/दूरभाष नं. :- ....